

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

क्र०सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ के तहत दिए जाने वाले अनुतोष/लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता है	स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी
1.	नहर पुर्नस्थापन/ आधुनिकीकरण/ लाइनिंग कार्य।	नहर पुर्नस्थापन/आधुनिकीकरण/लाइनिंग का कार्य क्षेत्र के आवश्यकता अनुसार कराया जाता है जिससे की कृषकों की सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है।	कृषकों/सभी जिलों/प्रखंडों/ग्रामों के सभी निवासीयों/आम जनों को योजना का लाभ मिलता है।	अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग के स्तर से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा।
2.	नहर संचालन हेतु नहर बांधों पर बिटुमिनस सड़क का निर्माण।	नहर संचालन/मरम्मती हेतु नहर बांधों पर बिटुमिनस सड़क का निर्माण किया जाता है जिससे आम जनों को भी इसका लाभ मिलता है।	कृषकों/सभी जिलों/प्रखंडों/ग्रामों के सभी निवासीयों/आम जनों को योजना का लाभ मिलता है।	अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग के स्तर से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा।
3.	तटबंध उच्चीकरण, सुदृढीकरण कार्य	बाढ़ अवधि से पूर्व तटबंध उच्चीकरण, सुदृढीकरण का कार्य कराया जाता है जिससे की बाढ़ अवधि के समय किसी भी अपातकालीन स्थिति से आम जनों की सुरक्षा की जा सके।	सभी जिलों/प्रखंडों/ग्रामों के सभी निवासीयों/आम जनों को योजना का लाभ मिलता है।	अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग के स्तर से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा।
4.	ग्राम्य/शहर सुरक्षात्मक कार्य	बाढ़ अवधि से पूर्व ग्राम्य/शहर सुरक्षात्मक कार्य कराया जाता है जिससे की बाढ़ अवधि के समय किसी भी अपातकालीन स्थिति से आम जनों की सुरक्षा की जा सके।	ग्रामों/शहरों के सभी आम जनों को योजना का लाभ मिलता है।	अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग के स्तर से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा।
5.	कटाव निरोधक कार्य	बाढ़ अवधि से पूर्व आवश्यकतानुसार कटाव निरोधक कार्य क्षेत्र विशेष को चिन्हित कर संबंधित जिलों/प्रखंडों/ग्रामों में कार्य कराया जाता है जिससे की बाढ़ अवधि के समय किसी भी अपातकालीन स्थिति से आम जनों की सुरक्षा की जा सके।	संबंधित जिलों/ग्रामों/प्रखंडों के सभी आम जनों को योजना का लाभ मिलता है।	अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग के स्तर से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा।
6.	बाढ़ निरोधी तटबंधों पर बिटुमिनस सड़क निर्माण कार्य	बाढ़ अवधि में बांध के मरम्मती/निरीक्षण के कार्य हेतु तटबंधों पर बिटुमिनस सड़क का निर्माण कराया जाता है।	संबंधित जिलों/ग्रामों/प्रखंडों के सभी आम जनों को बाढ़ अवधि में अपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखा जाता है।	अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग के स्तर से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा।

7.	जल निःसरण से संबंधित कार्य	जल निःसरण संबंधी कार्य के अंतर्गत पईन/नदी इत्यादि में गाद की उड़ाही एवं साफ-सफाई संबंधी कार्य कराए जाते हैं।	संबंधित जिलों/ग्रामों/प्रखंडों के सभी आम जनों को योजना का लाभ मिलता है।	अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग के स्तर से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा।
8.	स्वीकृत सिंचाई परियोजना से संबंधित मामले	स्वीकृत सिंचाई परियोजना आवश्यकतानुसार चिन्हित क्षेत्रों में कराया जाता है जिससे की कृषकों को उनके सिंचाई संबंधी कार्य में आशातित लाभ मिलता है।	चिन्हित क्षेत्रों के सभी कृषकों/निवासियों/आम जनों को इस योजना का लाभ मिलता है।	अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग के स्तर से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा।
9.	नहर/चाट भूमि की बन्दोबस्ती एवं अतिक्रमण के संबंध में	नहर/चाट की भूमि से अतिक्रमण को हटाया जाता है जिससे की नहर के जलप्रवाह को अवरुद्ध होने से बचाया जाता है एवं नहर का समुचित रख-रखाव किया जाता है। अतिक्रमणकारियों में से चिन्हित कर भूमिहीन आमजनों को संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा पुनर्वासित भी किया जाता है	चिन्हित क्षेत्रों के सभी कृषकों/निवासियों/आम जनों को इस योजना का लाभ मिलता है।	क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित जिला पदाधिकारी